Child trafficking

- *124. SHRI DEVDAS APTE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that child trafficking has become a high profitable business in India;
 - (b) if so, the details thereof;
- (c) whether Government are also aware that this is reported to be happening mainly in the backward States;
 - (d) if so, the State-wise details thereof; and
 - (e) what action Government have taken to stop this menace?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) and (b) There have been cases of child trafficking reported in the States/Union Territories registered under the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) and relevant sections of the Indian Penal Code (IPC). State-wise details of total number of cases registered under the ITPA and various IPC sections are given in the enclosed statement-I (See below).
- (c) and (d) No such trend is observed from the figures of cases registered.
- (e) 'Police' and 'Public Order' are State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India, hence the primary responsibility of prevention, detection, registration, investigation and prosecution of crime, including trafficking, lies with the State Governments. The Government is fully alive to and concerned with the problem of human trafficking and is taking several measures, in concert with the State Governments for prevention and control of crime of trafficking as well as measures for rehabilitation of victims. The Union Government has advised all the State Governments to deal with the crime of trafficking in a holistic manner and to evolve an effective and comprehensive strategy encompassing rescue, relief and rehabilitation of victims besides taking deterrent action against the law violators.

Statement-I

Selling of Girls for Prostitution (Sec. 372 IPC) and Buying of Girls for Prostitution Sec. 373. IPC) Cases Registered under Immoral Traffic (P) Act, 1956 Procuration of Minor Girls (Se. 366-A IPC) During 2003-2005

	Ē	Immoral Traffic	ffic	Pro	uration	Procuration of Minor	Sell	Selling of Girls for	irls for	Buy	Buy of Girls for	for
	<u>O</u>	(P) Act, 1956	99	Girls	(Sec. 3	Girls (Sec. 366A IPC)	_	Prostitution (sec. 372 (PC)	(sec.	Pr (Sec	Prostitution (Sec. 373 IPC)	ု ပွဲ
States/UT	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	မ	7	&	တ	10	=	12	13
Andhra Pradesh	349	405	681	94	8	84	-	0	2	0	0	6
Arunachal Pradesh	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0
Assam	22	28	25	12	œ	0	0	-	7	0	0	0
Bihar	တ	24	28	_	7	5	0	-	0	0	0	0
Chhattisgarh	7	თ	9	0	-	.0	0	0	0	0	0	0
Goa	25	28	38	5	-	0	0	0	0	0	0	0
Gujarat	74	33	59	7	ĸ	12	0	0	0	0	0	0
Haryana	24	62	85	က	0	0	0	0	0	0	0	0
Himachal Pradesh	9	4	4	4	0	0	-	0	0	0	0	0
Jammu & Kashmir	7	Ξ	რ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jharkhand	9	က	13	ഹ	ß	4	0	0	0	0	0	0
Karnataka	1361	1170	1241	-	4	7	0	0	0	0	0	0
Kerala	159	168	225	7	70	21	0	0	0	0	Ο.	0
Madhya Pradesh	33	23	19	13	7	4	25	0	0	0	0	-
Maharashtra	179	309	222	20	14	5	က	က	-	2	±	9

1	2	က	4	2	9	7	80	6	9	=	12	13
Manipur	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	-	0		0	0	4	0	0	0	0		
Mizoram	0	2	τ-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagaland		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orissa	Ξ	22	58	4	ო	0	0	0	0	0	0	0
Punjab	54	32	58	0	0	7	0	+	0	0	0	-
Rajasthan	51	79	115	-	-		c	-	-	-	-	0
Sikkim	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamil Nadu	2839	3022	2777	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	47	4	31	28	23	က	0	0	0	0	0	0
Uttaranchal	0	4	7	7	32	6	0	0	0	0	0	0
West Bengal	152	121	74	12	13	50	9	12	4	18	თ	7
Total (States)	5445	5611	5742	171	205	145	36	19	20	24	72	19
A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chandigarh	4	თ	တ	0	0	0	0	Ο,	0	0	0	0
D & N Haveli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	-	~	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	46	123	151	0	0	0	0	0	0	0	0	თ
Lakshadweep	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	` O
Pondicherry	13	4	လ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (UTs)	92	137	166	0	0	0	0	0	0	0	0	တ
Total (All-India)	5510	5748	2908	171	205	145	36	19	8	77	24	88

Source: Crime in India *Figures are not exclusively of child trafficking but includes adults also.

श्री देवदास आपटे: सभापित महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करूं, उसके पहले मेरी आपसे एक शिकायत है। इससे पहले प्रश्न पर, जब बात हो रही थी, मैं खड़ा रह गया, आपने मुझे छोड़कर बाकी सबको अनुमित दी और मुझे नहीं दी थी।

श्री सभापति: आपको इसलिए कि आपका क्वेश्चन था।

श्री देवदास आपटे: सभापित महोदय, मैंने प्रश्न के ''सी'' भाग में पूछा था कि क्या पिछड़े राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती हैं और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि आंकड़ों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यदि उन्हीं आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, तो यह प्रतीत होता है कि जो प्रगतिशील राज्य हैं, वहां तो शिकायतें थाना में बच्चों के गायब होने की, गुम होने की दर्ज हो जाती हैं, लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, वहां थाना में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं करता। उसके कारण यह आंकड़ों में दिखाई नहीं देता है मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें थानों में दर्ज हो जाएं, इसके लिए केवल यह कहकर पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा कि यह राज्यों का विषय है, क्या राज्यों में इसकी कोई पर्यायी व्यवस्था करने की बात केन्द्र सरकार ने सोची है कि इस प्रकार की शिकायतें दर्ज हो जाएं? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वि॰ पाटिल: श्रीमन्, में इसका उत्तर दो रूप से देने की कोशिश करूंगा। एक तो यह है कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करके उसमें एक तरतूत करने जा रहे हैं। एफआईआर दाखिल होने के बाद एफआईआर रिजस्टर नहीं की जाती, ऐसी शिकायतें हमेशा आती रहती हैं। उसका क्या उत्तर होता है, यह सोचकर हमने यह तय किया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह तरतूत की जाए कि एफआईआर पुलिस थाने में दाखिल हो और उसके साथ–साथ अगर उसकी कॉपी वहां के ज्यूडिशियल मिजस्ट्रेट के पास भेज दी जाए तो एफआईआर रिजस्टर न होने पर भी उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि मिसिंग चिल्ड्रन के संबंध में, जो बच्चे गायब हुए हैं, इसको non-cognizable केस के रूप में माना जाता है। दिला संवंध में सुधार करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। जो कमेटी अप्वाइंट हुई थी, Women and Child Development Department की तरफ से, उन्होंने यह कहा है कि इस offence को, जिसमें बच्चे या कोई भी आदमी मिसिंग बताया जाता है, जिसको आज non-cognizable माना जाता है, उसको cognizable मानकर फिर रिजस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की जाए। दोनों चीजों को सामने रखकर इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्रियों के साथ जोनल काउंसिल में तथा नेशनल लैवल पर भी इसके संबंध में चर्चा होगी।

श्री देवदास आपटे: महोदय, सरकार के सामने बाल आयोग बनाने की बात विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बाल आयोग जब भी बनेगा, तब इस आयोग को क्या यह अधिकार

RAJYA SABHA

मिलेगा कि इस प्रकार की शिकायतें जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर दर्ज कराने की व्यवस्था उस आयोग के अधीन होगी? क्या सरकार ऐसा करने वाली है या नहीं?

श्री शिवराज वि॰ पाटिल: श्रीमन्, बाल आयोग का जो सवाल है, मेरे मंत्रालय की तरफ से 'हां' या 'न' में जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि Women and Child Development Department की तरफ से वह किया जा रहा है लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, वह विचार के काबिल है इसलिए आपका सुझाव मैं मंत्री महोदय को और मंत्रालय को जरूर भेजूंगा और उनको देखने के लिए कहूंगा। जब यह हमारे पास केबिनेट में आएगा, तब भी हम उसका विचार करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: उसके चेयरपरसन अप्वाइंट हो चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: सर, बाल आयोग बन गया है, चेयरमैन भी अप्वाइंट बन गए हैं, उनको पता ही नहीं है। ...(व्यवधान)... Sir, let him apply his mind. ...(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Thank you, sir. I think, I would like to congratulate the Home Minister for being so calm. Congratulations, Sir. It's not very easy. ...(Interruptions)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I thank you for being sympathetic.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I wish he would train a lot of the Members from his Party who are sitting, who make very irresponsible statements and also to pass on this ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: come to your question. ...(Interruptions)... You come to your question. ...(Interruptions)...

श्रीमती जया बच्चनः निकाल दीजिए सर, ...(व्यवधान)... निकाल दीजिए। Sir, if I have done anything against the Parliament, प्लीज़ आप निकाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए।

श्रीमती जया बच्चन: सर, मुझे बहुत दुख होता है यह कहने में, personally I have a lot of regard for Vohraji whom I have known since my childhood. He was the Chief Minister of my mother's State, Madhya Pradesh, for a long time. ...(Interruptions)... आपको बुरा लग रहा है?

एक माननीय सदस्य: आप सवाल पृछिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: पूछ रही हूं। उन्होंने जो सवाल पूछा था...

श्री सभापति: आप जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, यइम हो रहा है।...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: उन्होंने जो सवाल पूछा था, उससे ज्यादा महत्व इस सवाल के जवाब में है। जो अभी सवाल किया गया है, उसके जवाब में मंत्री जी ने पूरा आंकड़ा यहां दे रखा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और बाकी भारत में क्या हो रहा है। पहले भी एक सेंटर ने आंकड़े रिलीज़ किए थे ... वॉयलेंस के बारे में, उसका जवाब उसमें था, फिर भी... What I am trying to say is, if these are the facts. ... (Interruptions)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन के बाद जवाब होगा। क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: मैं क्वेश्चन ही कर रही हूं सर, आप क्वेश्चन तो करने दीजिए।

श्री सभापति: आप straightaway क्वेश्चन कीजिए, जवाब आएगा।...(व्यवधान)... क्वेश्चन कीजिए प्लीज़... माननीय सदस्या, आप सीधा क्वेश्चन कीजिए।

श्रीमती जया बच्चन: सर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यहां जो उन्होंने जवाब दिया है, Can he explain the status given in the answer in respect of their Governments in the States where they are ruling? आंध्र प्रदेश देखिए, immoral traffic ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है...ठीक है।

श्रीमती जया बच्चन: इसका मुझे जवाब चाहिए। यह देश में कहां-कहां क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? जहां कांग्रेस रूल है, वहां ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह तो इसमें लिखा हुआ है।

श्रीमती जया बच्चन: यह मंत्री जी बताएं और उसको कम करने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री शिवराज वि॰ पाटिल: श्रीमन्, मैं अगर यहां से जवाब दूं, तो फिर मेरा जवाब सुना भी नहीं जाएगा, उस स्टाइल में, मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी पर दोष लगाने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हूं या किसी का संरक्षण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मगर पूरा चार्ट अगर आप देख लेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि नॉन-कांग्रेस गवर्नमेंट के आंकड़े क्या हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट के आंकड़े क्या हैं? ... (व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, what is this? ... (Interruptions)...

श्री सभापति: अब मैं क्या कहूं? क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उसका जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Is this the reply of the Home Minister when our children are being sold to brothel houses? ...(Interruptions)...

श्री सभापति: क्वेश्चन इनका नहीं है। ...(व्यवधान)... इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब दे रहे हैं, बाकी जवाब ऑलरेडी है, प्रिंटेड है। ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The question asked was, why is it that in the Congress-ruled States, the numbers are different? ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, apply your power. Sir, ask him to apply his power. ...(Interruptions)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Madam Brinda Karat, I am not replying to you. I am replying to her question. ...(Interruptions)... Sir, I am not replying to Shrimati Brinda Karat's question. I am replying to Shrimati Jaya Bachchan's question. ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, what is this? ...(Interruptions)...

श्रीमती जया बच्चन: मैं आपकी बात सुन रही हूं।

श्री शिवराज वि॰ पाटिल: मैं यहां पर आपको इसलिए पढ़कर नहीं बताना चाहता हूं कि किस स्टेट में क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इसकी जरूरत नहीं है, जवाब सबके पास है।

श्री शिवराज वि॰ पाटिल: मैंने जो चार्ट दिया है, उसे आप देखेंगे, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि आप जो कह रहे हैं, उसके खिलाफ ही इसके अंदर ...(व्यवधान)...

श्री सभापित: कोई सुनाने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान)... कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज कि पाटिल: क्या मैं आपको वेस्ट बंगाल के आंकड़े पढ़कर बताऊं? ...(व्यवधान)... क्या मैं आपको तिमलनाडु के आंकड़े पढ़कर बताऊं? ...(व्यवधान)... क्या मैं दूसरे स्टेट्स के आंकड़े आपको पढ़कर बताऊं? ...(व्यवधान)... don't want to read out the entire reply. ...(Interruptions)...

श्री सभापति: पढ़ने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... Shrimati N.P. Durga ...(Interruptions)... जया जी, आपका जवाब आ गया है। आप, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Shrimati N.P. Durga ...(व्यवधान)... श्रीमती एन॰पी॰ दुर्गा बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: आंध्र का बता दीजिए।

श्री सभापति: बता क्या दीजिए, आप देख लीजिए, सब लिस्ट में है।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, इस मामले में यु॰पी॰ और यु॰पी॰ए॰, दोनों एक ही हैं।

SHRIMATI N.P. DURGA: Thank you, Sir. Sir, it is very unfortunate that even after signing the declaration with 124 countries at the Child Rights Convention, there is no comprehensive legislation on child trafficking in India. So, I would like to know from the hon. Minister whether India has entered into an agreement with the neighbouring country and the Gulf countries since a large number of children are trafficked to these countries. What are the reasons for not enacting a legislation on child trafficking?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, there are existing laws which require some modification, and while replying to the previous question, I have said that. I have also made it very clear that the Government's intention is to improve upon the existing laws and to have some other laws. As far as the agreement with other countries is concerned, there are two parties to an agreement. Unless two parties are willing, we cannot enter into an agreement. If any country is willing to enter into an agreement, India shall have no difficulty. But this matter of entering into an agreement is not done through the Home Ministry. The question relating to the punitive part is referred to the Home Ministry. All the other things are dealt with by the other Ministries.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.